

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 319/2001/उदयपुर.

मैसर्स ओरेक्स इण्डिया प्रा० लिमिटेड,  
32/3, न्यू फतेहपुरा, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर.
2. सहा.वाणि.क.अधि., प्रतिकरापवंचन, वार्ड-द्वितीय, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

2. प्रति-अपील संख्या – 743/2001/उदयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ओरेक्स इण्डिया (प्रा.) लिमिटेड, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक एवं श्री विनीत पारीक,  
अभिभाषकगण

.....व्यवहारी की ओर से.



श्री एन. एस. राठौड़,  
उप-राजकीय अभिभाषक

.....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/05/2014

निर्णय

अपील संख्या 319/2001/उदयपुर अपीलार्थी व्यवहारी मैसर्स ओरेक्स इण्डिया प्रा० लि० उदयपुर द्वारा तथा प्रति अपील संख्या 743/2001/उदयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 11/सीएसटी/2000-2001 में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.12.2000 के विरुद्ध पृथक-पृथक प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 1997-98 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9 सपटित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 61 व 65 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 7.10.99 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।




लगातार.....2

अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध व्यवहारी एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपीलों में राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ ने दिनांक 12.3.2003 को आदेश पारित किया है। उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एस.बी. सिविल (सेल्स टैक्स) रिवीजन संख्या 9/2005 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4.10.2012 को आदेश पारित किया जाकर प्रकरण पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु कर बोर्ड को प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः प्रकरण में उभयपक्ष की सुनवाई के पश्चात, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4.10.2012 में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में पुनः आदेश पारित किया जा रहा है।

इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान निहित होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 1997-98 के केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 के तहत अस्थाई कर निर्धारण के समय पाया कि प्रत्यर्थी ने राज्य के बाहर के क्रेताओं को खनिज डोलामाईट की बिक्री F.O.R. डेस्टीनेशन की गई है, लेकिन कर का भुगतान केवल माल की कीमत पर किया गया है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने माल की कीमत में परिवहन खर्च को जोड़ते हुए कर रूपये 15,26,965/- एवं इसे करापवंचन मानते हुए अधिनियम की धारा 65 के तहत शास्ति रूपये 30,57,930/- कुल रूपये 45,80,895/- की मांग सृजित की तथा इसी मांग को अधिनियम की धारा 28 के तहत पारित नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.10.1999 में यथावत रखा। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध अपील किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने बढ़ाई गई बिक्री (परिवहन खर्च) पर भी 4 प्रतिशत से कर ('सी' फार्म के समर्थन में) निर्धारित करते हुए तथा अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की। अपीलीय अधिकारी द्वारा 16 प्रतिशत कर के बजाय 4 प्रतिशत से करारोपण की पुष्टि करने तथा शास्ति अपास्त के बिन्दु पर राजस्व द्वारा प्रति-अपील संख्या 743/2001 प्रस्तुत की गई तथा 4 प्रतिशत करारोपण की पुष्टि के खिलाफ व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 319/2001 प्रस्तुत की गई। अपीलीय आदेश के विरुद्ध उभयपक्षों द्वारा की गई अपील पर कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 12.03.2003 में कर निर्धारण अधिकारी (वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन) का क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुए व्यवहारी की अपील को स्वीकार किया व राजस्व की अपील खारिज की। राजस्व द्वारा माननीय उच्च न्यायालय





के समक्ष रिवीजन S.B.C.S.T.R.P. No. 9/2005 दायर करने पर माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 04.10.2012 से कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार की पुष्टि करते हुए प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णयार्थ प्रतिप्रेषित किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा डोलामाईट गिट्टी की विक्रय मैसर्स एस.आर. स्टील लिमिटेड, हजीरा (गुजरात) को रूपये 250/- प्रति मैट्रिक टन की दर से एक्स वर्क्स विक्रय किया गया था तथा रूपये 550/- प्रति मैट्रिक टन की दर से क्रेता की ओर से भाड़ा ट्रांसपोर्टर को अलग से अदा किया गया था, जिसे व्यवहारी ने क्रेता को डेबिट नोट जारी करते हुए वसूल किया। चूंकि माल एक्स वर्क्स क्रेता को दे दिया गया था। इसलिए भाड़ा राशि की रकम को विक्रय मूल्य में शामिल नहीं किया जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मैसर्स मेवाड़ खनिज उद्योग बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर 11 एस.टी.ओ. 1994 पेज 384, (2008) 21 टैक्स अपडेट 358 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स इण्डियन रेयॉन एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कर बोर्ड की खण्डपीठ के निर्णय (2003) 16 सेल्स टैक्स टूडे 95 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरावंचन अलवर बनाम मैसर्स यूनिवर्सल सिलेण्डर लि0, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम मैसर्स बेंगलोर सॉफ्ट ड्रिंक प्रा0 लि0, (2006) सेल्स टैक्स टूडे 31 तथा माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय इण्डियन एक्सप्लोजिस लि0 बनाम बिहार राज्य निर्णय दिनांक 11.9.1984 के निर्णयों के उद्धरण प्रस्तुत किये।

अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी के अन्तर्राज्यीय वाणिज्य व्यवहार में की गई बिक्री के समर्थन में घोषणा पत्र 'सी' फार्म से समर्थित होने के कारण परिवहन खर्च से सम्बन्धित माने गये विक्रय पर भी 4 प्रतिशत से कर देय होता है। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त करारोपण को अपास्त कर कोई विधिक भूल नहीं की है। अपने तर्क के समर्थन में राजस्व मण्डल के मैसर्स हेमराज उद्योग बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-तृतीय, जयपुर के निर्णय दिनांक 01.09.1982 को उद्धरित किया है।

अग्रिम यह भी कथन किया कि व्यवहारी के लेखा पुस्तकों में परिवहन खर्च को भी इन्द्राजित किया हुआ है तथा संव्यवहारों को करारोपण की नियत से छुपाया नहीं गया है, इसलिये अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अधिनियम की धारा 65 के तहत शास्ति को अपास्त कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है।






उक्त आधारों पर स्वयं की अपील स्वीकार किये जाने तथा विभाग की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

विभागीय पैरोकार विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा मैसर्स एस.आर. स्टील लिमिटेड हजीरा को डोलामाईट का विक्रय F.O.R. डेस्टिनेशन किया जाना व्यवहारी द्वारा जारी विक्रय बिलों में स्पष्ट प्रमाणित होता है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 36 से 59 तक की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि बिलों में माल गन्तव्य स्थान हजीरा पर सप्लाई किये जाने का तथ्य अंकित है। इसी प्रकार कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर पृष्ठ संख्या 60 से 68 पर उपलब्ध क्रय आदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया कि क्रय आदेशों में भी माल की कीमत रूपये 800/- प्रति मैट्रिक टन, कीमत दर F.O.R. हजीरा अंकित पाई गई। व्यवहारी ने F.O.R. डेस्टिनेशन के लिये निर्धारित दर को माल व परिवहन खर्च को विभाजित करते हुए माल की कीमत पर कर अदा किया है तथा शेष परिवहन खर्च को क्रेता के विक्रय पर किया हुआ खर्च बताते हुए करापवंचन किया है। अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी द्वारा विवादित विक्रय में से केवल माल मूल्य की कीमत के 'सी' फार्म प्रस्तुत किये हैं तथा अतिरिक्त विक्रय मूल्य के 'सी' फॉर्म प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने विधिसम्मत रूप से 16 प्रतिशत से करारोपण किया था जिसे अपीलीय अधिकारी ने 'सी' फार्म से समर्थित विक्रय लेन-देन मानकर 4 प्रतिशत से कर अवधारित कर विधिक भूल की है। यह भी कथन किया कि व्यवहारी ने परिवहन खर्च के रूप में वसूल किये गये विक्रय मूल्य पर करापवंचन की नियत से कर अदा नहीं करने के बावजूद अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त कर विधिक भूल की है। इसलिए उक्त आधारों पर विभाग की अपील को स्वीकार कर, कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया, कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली से स्पष्ट होता है कि व्यवहारी ने क्रेता के परचेज आर्डर में माल की सप्लाई F.O.R. डेस्टिनेशन हजीरा (गुजरात) किये जाने का करार किया है तथा तदनुसार माल का मूल्य भी मय परिवहन खर्च निर्धारित किया गया लेकिन व्यवहारी ने माल के बिल बनाते वक्त माल की कीमत को ही विक्रय मूल्य में शामिल किया है तथा परिवहन खर्च को डेबिट नोट जारी करते हुए क्रेता से वसूल किया है। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2(h) के अनुसार

लगातार.....5






विक्रय मूल्य की परिभाषा के अन्तर्गत वे सभी खर्च शामिल होते हैं, जो माल की डिलीवरी देने से पूर्व किये जाते हैं। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2(h) इस प्रकार है :-

2(h) - "SALE PRICE" means the amount payable to a dealer as consideration for the sale of any goods, less any sum allowed as cash discount according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for any thing done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the delivery thereof other than the cost of freight or delivery or the cost of installation in cases where such cost is separately charged;

व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने डेबिट नोट के जरिये परिवहन खर्च क्रेता के बिहाफ पर किये जाने के कारण विक्रय मूल्य की परिभाषा अनुसार परिवहन खर्च अलग से वसूल किये जाने के कारण इसे विक्रय मूल्य का भाग नहीं होने का तर्क दिया है तथा तर्क के समर्थन में उक्त निर्णय उद्धरित किये हैं, जो व्यवहारी को मदद नहीं करते हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 11 एस.टी.ओ. 1994 पेज 384 मैसर्स मेवाड़ खनिज उद्योग के प्रकरण में करार की शर्तों को विश्लेषित करते हुए निर्णित किया है कि उस प्रकरण में माल की डिलीवरी F.O.R. असारवा अहमदाबाद के करार के बावजूद माल की कीमत F.O.R. असारवा तक नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मैसर्स हिन्दुस्तान शूगर मिल्स (1979) 43 एस.टी.सी. 13 के सुसंगत अंश को उद्धरित करते हुए डेबिट नोट के द्वारा क्रेता से वसूल किये गये परिवहन खर्च को विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जबकि प्रस्तुत प्रकरण में क्रय आदेशों के अनुसार माल की ढुलाई तथा माल की कीमत दोनों F.O.R. डेस्टिनेशन हजीरा (गुजरात) तय किया गया है। इसलिए परिवहन खर्च माल की ढुलाई से पूर्व का खर्च होने के कारण यह विक्रय मूल के प्रथम भाग में शुमार होता है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष मैसर्स इण्डियन रेयॉन एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 21 टैक्स अपडेट 358 के तथ्यानुसार व्यवहारी द्वारा एक ही गन्तव्य की दो व्यवहारियों से अलग-अलग माल का मूल्य वसूल करने के आधार पर क्रेडिट नोट के जरिये वसूल किये गये परिवहन खर्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त मेवाड़ खनिज उद्योग प्रकरण में निर्णय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हिन्दुस्तान शूगर मिल के निर्णयों के अनुसरण में परिवहन खर्च को विक्रय मूल्य का भाग नहीं होना निर्णित किया है। इसी प्रकार उद्धरित अन्य निर्णयों में भी क्रेता विक्रेताओं के मध्य हुए करारों में माल की ढुलाई व

लगातार.....6

उसकी कीमत F.O.R. डेस्टिनेशन नहीं होने के कारण परिवहन खर्च को विक्रय मूल्य का भाग नहीं होना निर्णित किया है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में माल की दुलाई तथा माल की कीमत दोनों F.O.R. डेस्टिनेशन तय होने के बावजूद भी व्यवहारी ने परिवहन खर्च को विक्रय मूल्य में शामिल नहीं किया है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने परिवहन खर्च को विक्रय मूल्य का भाग मानकर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी इसकी पुष्टि विधिसम्मत रूप से की है।

चूंकि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(4) तथा नियम 12(1) अनुसार एक विक्रय के सभी संव्यवहार (Transaction) के लिए एक ही 'सी' फार्म प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। नियम 12(1) उद्धरित किया जाना समेकित होगा --

12(1)- The declaration and the certificate referred to in sub-section (4) of Section 8 shall be in Forms C and D respectively;


Provided further that a single declaration may cover all transactions of sale which take place in a quarter of a Financial Year between the same two dealers.


चूंकि परिवहन खर्च भी बिक्रीत माल के संव्यवहार से सम्बन्धित है इसलिए सम्पूर्ण संव्यवहार 'सी' फार्म से समर्थित ही माना जायेगा, इसलिए अतिरिक्त विक्रय मूल्य भी 'सी' फार्म से समर्थित होने के कारण उस पर 4 प्रतिशत से करारोपण किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में व्यवहारी द्वारा परिवहन खर्च को डेबिट नोट के जरिये अलग से क्रेता से वसूल किये जाने के आधार पर इसे विक्रय मूल्य का भाग होना विवादित किया गया है तथा परिवहन खर्च भी लेखा पुस्तकों में इन्द्राजित किया गया है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 23 वी.एस.टी. 249 श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स के आलोक में करारोपण प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है, इसलिए उसकी पुष्टि की जाती है।

उक्त विवेचनानुसार दोनों अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
( अमर सिंह )  
सदस्य

  
( जे. आर. लोहिया )  
सदस्य  
5/5/14